उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

:2060-राविप/औस-17/96-9एम/92

दिनांक:जुलाई 20 , 1996.

कार्यालय-ज्ञाप
===========

परिषद के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्ति(यों) की [illegible]क एवं साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किए जाने [illegible]न्धी परिषदाज्ञा संख्या 1890-ई.ए./राविप/औस-18/92-8विविध/92 दिनांक [illegible]9.1992 के प्रस्तर(1) में निम्नवत् संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

(क) केवल घातक दुर्घटना के फलस्वरूप वर्तमान देय अनुग्रह धनराशि रू010,000/- (रूपया दस हजार) के स्थान पर रू0 20,000/-(रूपया बीस हजार) अनुमन्य होंगे किन्तु अन्तरिम सहायता की धनराशि पूर्ववत रू0 1000/- (रूपया एक हजार) रहेगी तथा मृतक बाहरी व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों को अन्तिम भुगतान करते समय निर्धारित अनुग्रह धनराशि रू0 20,000/-(रूपया बीस हजार) में से इसे समायोजित कर लिया जायेगा।

(ख) बाहरी व्यक्ति(यों) की साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता की स्थिति में वर्तमान देय अनुग्रह धनराशि रूपया 10,000/-(रूपया दस हजार) के स्थान पर रूपया 20,000/-(रूपया बीस हजार) होगी तथा रू0 20,000/- की धनराशि को आधार मानकर उपरोक्त संदर्भित परिषदाज्ञा दिनांक 26.9.1992 के संलग्नक में वर्णित अर्जनक्षमता में हुए प्रतिशत ह्रास के अनुसार गणना करके अनुपातिक अनुग्रह धनराशि का भुगतान देय होगा किन्तु किसी भी दशा में यह धनराशि निर्धारित अनुग्रह धनराशि रू0 20,000/-(रूपया बीस हजार) से अधिक न होगी।

उपरोक्त संदर्भित परिषदाज्ञा संख्या 1890 दिनांक 26.9.1992 में निहित [illegible]विधान यथावत रहेंगे तथा इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से पूर्व घटित [illegible] के प्रकरण का निस्तारण परिषदाज्ञा दिनांक 26.9.1992 के अनुसार ही [illegible] जायेगा।

अध्यक्ष

:2060-(1)-राविप/औस-17/96, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

[illegible]मस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible]मस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible]मस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible] अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible] लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible] लेखाधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
[illegible] वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible] कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
[illegible] मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर ।
[illegible]चिव, कार्मिक विनियम नीति, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।

आज्ञा से,